



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 07.10.2026

थाना बडौत पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर, कपटपूर्वक जालसाजी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर तथा स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कथित तथ्यों एवं फर्जी अभिलेखों के आधार पर बैंक ऑफ बडौदा के साथ धोखाधड़ी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदक श्री राजेश कुमार खरे, क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, योजना संख्या-1, मंगल पाण्डे नगर, मेरठ (उ.प्र.) के अनुसार विभिन्न अभियुक्तों के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर, कपटपूर्वक जालसाजी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर तथा स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कथित तथ्यों एवं फर्जी अभिलेखों के आधार पर बैंक ऑफ बडौदा के साथ धोखाधड़ी की गयी । साथ ही, लोक धन को अवैध रूप से केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण के माध्यम से हड़पने का कृत्य किया गया । उक्त आरोपों के आधार पर थाना बडौत पर कुल 19 अभियोग पंजीकृत किए गए ।



उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर क्रमशः

1.दिनांक 12.05.26 को मु0अ0सं0 318/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. पप्पू पुत्र स्व0 श्री दारा सिंह 2. महावीरा पुत्र सुरती 3. अन्य अज्ञात व्यक्ति ,

2.दिनांक 20.05.26 को मु0अ0सं0 337/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. सुखपाल, 2. राजेन्द्र उर्फ राजेन्द्र सिंह,, 3. अन्य अज्ञात व्यक्ति ,
3.दिनांक 29.05.2026 को मु0अ0सं0 366/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1.विनीत उर्फ विनीत कुमार उम्र लगभग 34 वर्ष पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह 2. पप्पू व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
4.दिनांक 31.05.26 को मु0अ0सं0 370/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1. महावीरा उर्फ महावीरा 2. पप्पू व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
5.दिनांक 08.06.26 को मु0अ0सं0 399/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1. रिशपाल उर्फ रिषिपाल 2. दिनेश कुमार व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
6. दिनांक 26.07.26 को मु0अ0सं0 531/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. दिनेश कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह 2. रिशपाल उर्फ रिषिपाल पुत्र श्री खचेडू व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
7.दिनांक 31.07.26 को मु0अ0सं0 548/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. गोपी 2. सुखपाल व अन्य अज्ञात व्यक्ति,
8.दिनांक 16.09.26 को मु0अ0सं0 664/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1. महावीर 2. पप्पू व अन्य अज्ञात व्यक्ति के पंजीकृत किये गये।

उक्त अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर रमेश कुमार पुत्र सूरजभान निवासी गुराना रोड 3/151 गैस गोदाम वाली गली कस्बा व थाना बडौत हाल पता महिला पार्क के सामने आवास कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।(पूर्व बीसी बैंक आफ बडौदा शाखा बडौत) उम्र 46 वर्ष की संलिप्तता पाये जाने पर नाम प्रकाश में लाया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 307/26, 308/26, 490/26, 364/26, 366/26, 343/26, 531/26, 534/26, 548/26, 559/26, 661/26, 664/26, 318/26, 337/26, 338/26, 348/26, 370/26, 396/26, 399/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

रमेश कुमार पुत्र सूरजभान निवासी गुराना रोड 3/151 गैस गोदाम वाली गली कस्बा व थाना बडौत हाल पता महिला पार्क के सामने आवास कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।(पूर्व बीसी बैंक आफ बडौदा शाखा बडौत) उम्र 46 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री राम कुमार कुन्तल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री आरिफ अली थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-म०का० 626 सुरभि सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना खेकडा साइबर सेल, जनपद बागपत के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के खाते से 21,000/- रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी के सम्पूर्ण 21,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी-

1-पीड़ित सलमान पुत्र मौ० आकिल निवासी नई बस्ती सुभाष नगर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन 21,000/- रुपये की धोखाधड़ी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई , जिसका ACK नं० 33101260002886 है । शिकायत प्राप्त होने पर



थाना खेकडा साइबर सेल टीम प्रभारी उ०नि० श्री नितिन कुमार व का० नारायण द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की

गयी, पीडित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि 21,000/- रुपये को कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से वापस कराया गया ।

रुपये वापस मिलने पर पीडित द्वारा थाना खेकड़ा पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र०सं०	थाना	प्रा० पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना खेकड़ा	33101260002886	21,000/-



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 07.10.2026

थाना बिनौली पुलिस ने जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 मोबाइल, 04 पर्ची, नगद 500 रु व 01 पेन बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थानों पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 01 मोबाइल, 04 पर्ची, नगद 500 रु, 01 पेन बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.अबरार पुत्र अख्तर निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2.आरिफ पुत्र शरीफ निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाईल, 04 पर्ची, नगद 500 रु व 01 पेन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2.का0 951 पीताम्बर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



BAGHPAT POLICE



थाना बिनौली साइबर टीम जनपद बागपत

थाना बिनौली साइबर टीम जनपद बागपत द्वारा आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि 40,000/- रुपये वापस कराये गये-

आवेदक/पीडित श्री अवनीश जैन पुत्र राजेन्द्र जैन निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आनलाइन 40,000 रुपये की धोखाधड़ी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर दर्ज करायी, जिसका ACK. NO-



23105260096050 है, शिकायत

प्राप्त होने पर **थाना बिनौली साइबर टीम** द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी। पीडित के बैंक खाते से आनलाइन धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि 40,000 रुपये को वापस कराया गया ।

आवेदक/पीडित को रुपये वापस मिलने पर थाना बिनौली पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र०सं०	नाम थाना	प्रा०पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	बिनौली	23105260096050	40,000 रुपये

आवेदक/पीडित को रुपये वापस कराने वाली टीम:-

- 1-प्र० नि० श्री जितेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री पुलकित सिंह राहल थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 801 सावन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-म०का० 650 साधना थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना रमाला

दिनांक 07.10.2026

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अंतर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु०अ०सं० 213/26 धारा 3/25 आयुध अधि० पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त नीरज का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 234/23 धारा 323/352/504/506 भादवि थाना रमाला।
2. मु०अ०सं० 185/24 धारा 109/333/351(2)/352 बीएनएस थाना रमाला।
3. मु०अ०सं० 57/26 धारा 3/10 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधि० थाना रमाला।
4. मु०अ०सं० 213/26 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना रमाला बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री युवनीश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
2. का० 1043 सुनील यादव थाना रमाला जनपद बागपत।
3. का० 563 अनिल कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

